



सत्यमेव जयते



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

14 आश्विन, 1947 (श०)

संख्या - 454 राँची, सोमवार,

6 अक्टूबर, 2025 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

15 जुलाई, 2025

संख्या-5/आरोप-1-553/2014 (खण्ड)-31932 (HRMS)--चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि LPA No. 33/2024 झारखण्ड राज्य एवं अन्य बनाम रूपेश कुमार में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 18.07.2024 को पारित आदेश के आलोक में श्री रूपेश कुमार, झा०प्र०से०, (कोटि क्रमांक-334/20), सम्प्रति-निलंबित, मुख्यालय-प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग के विरुद्ध नये सिरे से आरोप पत्र का गठन किया गया है। उक्त आरोप पत्र में इनके विरुद्ध फर्जी तरीके से दूसरे व्यक्ति के खतियान एवं गलत शपथ-पत्र के आधार पर पिछड़ा वर्ग-1 का जाति प्रमाण-पत्र बनवाकर चतुर्थ जे०पी०एस०सी० परीक्षा के द्वारा झारखण्ड प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति प्राप्त करने तथा मामले की जाँच प्रारंभ किये जाने पर जिला के पदाधिकारियों के हस्ताक्षर से फर्जी पत्र भेजकर विभाग को गुमराह करने संबंधी प्रतिवेदित है, को प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है ।

2. उक्त आरोप पत्र पर माननीय मुख्य (विभागीय) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

3. अतः श्री कुमार के विरुद्ध आरोप पत्र में गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है ।

4. तदनुसार एतद् द्वारा श्री कुमार को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित बचाव बयान उनके (संचालन पदाधिकारी के) समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध कराएँ।

5. श्री कुमार द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किए जाने वाले लिखित बचाव बयान में जिन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन आरोपों की जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल द्वारा श्री कमल जॉन लकड़ा, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

6. श्री कुमार के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, गिरिडीह को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है।

7. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव में सरकार का आदेश प्राप्त है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय एवं इसकी प्रति (आरोप पत्र एवं साक्ष्य कागजात सहित) श्री रूपेश कुमार, झा०प्र०से० एवं श्री कमल जॉन लकड़ा, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	RUPESH KUMAR 110083181676	श्री रूपेश कुमार, झा०प्र०से०, (कोटि क्रमांक-334/20), सम्प्रति-निलंबित, मुख्यालय-प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनल प्रतीक मिंज,

सरकार के संयुक्त सचिव।

जीपीएफ संख्या:PTS/VET/646
